

**न्यायालय :-अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-530 / 2003
संस्थित दिनांक-11.10.1999
फाईलिंग नं.-234503000131999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1. प्रभात कुमार पिता रमेश प्रसाद मिश्रा, उम्र- वर्ष, जाति गोण्ड,
निवासी ग्राम छापूटोला चिखलाजोड़ी थाना रुपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. मनोज उर्फ मनीष पिता गजानंद, उम्र-20, निवासी महासमुंद, (पूर्व से फरार)
3. प्रमोद कुमार उर्फ खेमेन्द्र पिता किशोरीलाल, उम्र-20 वर्ष (पूर्व से फरार)
निवासी पिजारा मोहल्ला वारासिवनी जिला बालाघाट।

— — — — — आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-30/08/2017 को घोषित)

01- आरोपी प्रभात कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-392 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-05.08.1999 को समय 08:30 बजे स्थान भादुकोटा और भीमाटोला के रास्ते में चाकू अड़ाकर फरियादी टीकाराम की मृत्यु/उपहति/सदोष अवरोध कारित करने का भय कारित किया और 850/- रुपये लूट लिये।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी टीकाराम दिनांक 05.08.1999 को ग्राम चन्दना साप्ताहिक बाजार कपड़ा बेचने गया था और वापस बाजार करके शाम करीब 8:30 बजे घर लौट रहा था, तभी रास्ते में भादूकोटा और बीजाटोला के बीच बीजाटोला तरफ से एक मोटर सायकिल आई, जिसने उसकी सायकिल के आगे मोटर सायकिल अड़ा दिया और उसका गला पकड़कर मोटर सायकिल वाले ने बोला कि प्रभात तू चाकू अड़ा दे, तब प्रभात ने चाकू अड़ा दिया। मोटर सायकिल चलाने वाले ने बोला कि खेमेन्द्र इस

मादरचोद की जेब की तलाशी ले, जेब में दुकान बिक्री के 850/- रुपये थे, जिनमें 100 के चार, पचास के सात एवं दस के दस नोट रखे थे, जिन्हें निकाल लिया और पायजामे की जेब की तलाशी लिया, फिर तलाशी लेने वाला बोला मनोज अब इसके पास कुछ नहीं है, तब तीनों उसे छोड़कर मोटर सायकिल में बैठकर चन्दना की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक-63/99, अन्तर्गत धारा-392 भा.दं.सं. के तहत चालान पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-392 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी प्रभात कुमार ने दिनांक-05.08.1999 को समय 08:30 बजे स्थान भादुकोटा और भीमाटोला के रास्ते में चाकू अड़ाकर फरियादी टीकाराम की मृत्यु/उपहति/सदोष अवरोध कारित करने का भय कारित किया और 850/- रुपये लूट लिये ?

सकारण निष्कर्ष:-

05. साक्षी टीकाराम अ0सा0-04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके कथन देने की तिथि से लगभग 15-16 साल पूर्व परसवाडा के पास ग्राम बीजाटोला में शाम 06:00 बजे की है। वह ग्राम चंदना से कपड़े बेचकर अपने घर साईकिल से वापस जा रहा था, तभी आरोपीगण आपनी मोटर से परसवाडा तरफ से आकर उसकी साईकिल के सामने अड़ा दिये थे। एक आरोपी मोटर सायकिल पर ही रहा और दो आरोपी नीचे उतर कर एक आरोपी ने

पीछे से उसका गला पकड़ा और एक आरोपी ने उसे चाकू अड़ाया और उसके जेब में हाथ डालकर प्रभात, मनोज, खुमेन्द्र ने मिलकर उसके जेब से 850/-रुपये निकाल लिये थे, तीनों आरोपीगण पैसे निकालकर घटनास्थल से भाग गये। उसकी जेब से निकाले गये नोट में सौ-सौ के चार नोट, पाचास-पचास के सात नोट, दस-दस के दस नोट थे, कुल आठ सौ पचास रुपये थे। उसने परसवाडा थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जो प्र.पी. 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06. साक्षी टीकाराम अ0सा0-04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसे घटना का दिन एवं तारीख याद न होना व्यक्त किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना रात्रि के 8:30 बजे की है। साक्षी के अनुसार घटना 6:00 बजे की है। पुलिस को एफ.आई.आर. और बयान लिखाते समय रात्रि के 8:30 बजे थे। यह स्वीकार किया कि प्रभात ने उसे चाकू अड़ाया था और आरोपी खुमेन्द्र ने उसे मारदरचोद की गाली देकर जेब की तलाशी लेने कहा था और मनोज ने उसके जेब की तलाशी लिया था और पैजामे के जेब की तलाशी लिया था और उसकी जेब से 850/- रुपये निकाल लिया था। मनोज ने कहा था कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तीनों फिर मोटर सायकिल लेकर भाग गये थे। उसने अपने बयान में और पुलिस रिपोर्ट लिखाते समय 850/- रुपये आरोपीगण ने लूट लिये बता दिया था। पुलिस ने उसे उसका बयान और रिपोर्ट पढ़कर बताई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि लूट करते हुए विनोद और दुर्गाप्रसाद ने देखा था। साक्षी के अनुसार घटना के तुरंत बाद उसने विनोद और दुर्गाप्रसाद को जानकारी दी थी, फिर उनके साथ वह थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह आरोपी को पहली बार देख रहा है। उसने आरोपी को घटनास्थल पर नहीं देखा था और ना

ही थाने में देखा था। घटना के बाद पुलिस ने उसके साथ जिन लोगों ने घटना किये थे, उनकी पहचान कार्यवाही नहीं कराई थी। उसने पुलिस को बयान दिया था। उसने उसके पुलिस बयान प्र.डी.01 में यह नहीं बताया था कि उसके जेब में हाथ डालकर प्रभात ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 850/- रुपये निकाल लिये हैं। उसने प्र.डी.01 में यह नहीं बताया था कि प्रभात ने उसे चाकू अड़ाया था। साक्षी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 से होती है तथा घटना के संबंध में साक्षी के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जावे।

07— साक्षी विनोद कुमार बिठले अ0सा0-01 ने कथन किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी तथा अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। वह फरियादी को भी नहीं जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 05.08.1999 की है। साक्षी ने प्र.पी.01 का पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

08— साक्षी दुर्गा गौतम अ0सा0-02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। साक्ष्य देने की तिथि से दस साल पहले वह अपनी साप्ताहिक दुकान लेकर चंदना गया था, वहाँ से वह करीब 7:30 बजे लौटा था। वह टीकाराम को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया कि वह दिनांक 05.08.1999 को चन्दना दुकान लेकर गया था और रात्रि 8:30 बजे अपने घर शेरपार जा रहा था, तभी उसके गांव का टीकाराम भी सायकिल से जा रहा था और बीजाटोला रोड के बीच एक मोटर सायकिल पर सवार तीन लड़के को लूटपाट कर चंदना की तरफ भागते हुये देखा था। घटना के समय उसके साथ मनोज बिठले परसवाड़ा भी था।

उसके सामने गये टीकाराम ने उसे बताया था कि आज तीनों लोगों ने मोटर सायकिल पर सवार होकर बीजाटोला तरफ आकर उसकी सायकिल के सामने अड़ा दिया था। टीकाराम ने उसे बताया था कि उसका गला पकड़कर मोटर सायकिल वालों ने बोला कि प्रभात तू चाकू अड़ा दे और प्रभात ने चाकू अड़ा दिया था। टीकाराम ने बताया था कि खेमेन्द्र इस मादरचोद की तलाशी ले। टीकाराम ने उसे बताया था कि उस लड़के ने उसके शर्ट की तलाशी ली थी। आरोपीगण ने उसकी बिक्री के 850/- रुपये उसके पैजामे की जेब से तलाशी के दौरान निकाल लिये थे। टीकाराम ने उसे बताया था कि उसके पास सौ के चार नोट पचास के सात नोट तथा दस-दस के दस नोट थे। टीकाराम ने बताया था कि तलाशी के बाद तीनों आरोपीगण उसे छोड़कर चंदना की तरफ भाग गये थे। वह तीनों आरोपीगण को देखकर पहचान लेगा। वह टीकाराम के साथ रिपोर्ट करने थाना परसवाड़ा गया था। घटना पुरानी होने से उसे ध्यान नहीं है कि टीकाराम ने उसे घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिये झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी टीकाराम से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही उसने उसे कोई घटना के बारे में बताया था।

09— साक्षी सुशील ब्रम्हे अ0सा0-03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसकी वर्ष 1993 से 1995-96 तक पुस्तक की दुकान परसवाड़ा बस स्टेण्ड हाईस्कूल के पास में थी। उसे टीकाराम के साथ घटना कारित होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि दिनांक 05.08.1999 को उसकी परसवाड़ा में पूना पुस्तक भण्डार के नाम से दुकान थी। उक्त दिनांक को ही न्यायालय में उपस्थित आरोपी अन्य दो लड़कों के साथ टी.वी. एस सुजुकी मोटर सायकिल में बैठकर उसके पास आये थे और जबलपुर जाने का रास्ता पूछ रहे थे। फिर उसे बाद में पता लगा कि प्रार्थी टीकाराम से तीन लड़कों ने चाकू

दिखाकर लगभग 850/- रुपये लूट कर भाग गये थे। उसने दिनांक 25.08.1999 को पुलिस को अपना बयान दिया था, जिसमें उसने यह बताया था कि तीनों लड़कों को देखकर पहचान लूंगा। न्यायालय में उपस्थित उन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था। उसने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन दिया था। इस प्रकार प्रकरण में केवल परिवादी टीकाराम की साक्ष्य ही मौके के संबंध में उपलब्ध है।

10. अम्मीलाल सलामे (अ0सा0-05) का कहना है कि वह परसवाड़ा में वर्ष 1999-2001 तक पटवारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का नजरी-नक्शा चाहा गया था, तब उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार कर दिया गया था, जो प्र.पी.04 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि थाना प्रभारी परसवाड़ा के द्वारा पटवारी हल्का नंबर-06 के द्वारा घटनास्थल का नजरी-नक्शा चाहा गया था, जिसमें उक्त घटनास्थल पर टीकाराम व राजाराम छीपा साकिन सेरपाल का रहने वाला, जिससे तीन अज्ञात व्यक्तियों ने आठ सौ रुपये की लूट की थी, उस संबंध में उसके द्वारा दिनांक 28.08.1999 को अपराध क्रमांक 76/99 में चाही गई जानकारी उसके द्वारा तैयार की गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा नजरी-नक्शा तैयार कर थाना प्रभारी महोदय को कार्यवाही हेतु दिया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि प्र.पी.04 का घटनास्थल बनाने मौके पर वह अकेला गया था और वहाँ से मौका नक्शा तैयार कर पुलिस को दिया था। प्र.पी.04 में उसे मौका बताने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। घटनास्थल का मौका बताने वाला कोई नहीं था, इसलिये प्र.पी.04 पर किसी के हस्ताक्षर नहीं करवाया था। प्र.पी.04 उसने अपने मन से बनाकर पेश कर दिया था। लूट होने संबंधी बात उसे पुलिस ने ही बताया था।

11. जी.वी. दुबे (अ0सा0-06) का कहना है कि वह दिनांक 08.08.99 को थाना बम्हनी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ग्राम पांडीवारा गस्त में गया था, गस्त के दौरान आरापी प्रभात कुमार से गवाह महादेव

एवं झनकलाल के समक्ष एक लैदर के काले रंग के पर्स में रखे हुए सौ रूपये के चार नोट, पचास रूपये के चार नोट, एवं दस रूपये ग्यारह नोट मय सबूत के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को आरापी प्रमेन्द्र कुमार से गवाह महादेव एवं झनकलाल के मुताबिक एक नेपाली खुखरी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं गवाहों के हस्ताक्षर है। उक्त जप्तियां चोरी के संदेह के आधार पर जप्त की गयीं थी एवं उनसे पूछताछ कर पूर्ण रूप से चोरी का संदेह होने पर आरोपीगण को पूछताछ कर धारा 41, 1, 4 जा.फौ. में गिरफ्तार कर कायमी कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि थाना बम्हनी से ग्राम पाण्डीवारा 14-15 कि.मी. की दूरी पर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि प्र.पी.05 में प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 02/99 दर्ज किया था, जो प्र.पी.05 उसकी हस्तलिपि में नहीं है। साक्षी के अनुसार उसके रीडर की हस्तलिपि में है और उसके बताये अनुसार लिखी गयी है। यह स्वीकार किया कि मौके के समय उन लोग ग्राम पाण्डीवारा गस्ती में गये हुए थे। प्र.पी.05 की कार्यवाही उसने मौके पर पाण्डीवारा गांव में की थी। साक्षी के अनुसार जप्ती के पश्चात रोजनामचा रिपोर्ट थाने में आकर रोजनामचा में दर्ज की थी। यह अस्वीकार किया कि थाने में आने के बाद प्रथम सूचना का क्रमांक रोजनामचा के बाद दर्ज हुआ था। यह स्वीकार किया कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.05 पर प्रथम सूचना क्रमांक शून्य पर दर्ज नहीं है। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.05 उसने थाने में बैठकर बनाया था, इसलिए प्रथम सूचना पत्र क्रमांक शून्य पर प्र.पी.05 में दर्ज नहीं है। यह स्वीकार किया कि गस्ती में जाते समय रवानगी वापसी सान्हा रोजनामचा में दर्ज किया जाता है। उक्त आवक जावक सान्हा अभियोग पत्र में संलग्न नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने उक्त सान्हा परसवाडा पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया था। वह गस्त में पाण्डीवारा नहीं गया था। प्र.पी.05 के मुताबिक प्रभातकुमार से कोई जप्ती नहीं हुई थी। उसने परसवाडा पुलिस के कहने पर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तैयार की थी।

12. आर.एन.त्रिपाठी (अ0सा0-08) का कहना है कि वह दिनांक 05.08.

09 को थाना परसावाडा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा टीकाराम छीपा की जबानी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र 76/99 धारा 392/34 भां.द.वि दर्ज की गई, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण की शेष विवेचना अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने प्रार्थी के बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने प्र.पी.02 की रिपोर्ट प्रार्थी टीकाराम छीपा के कहे अनुसार लेख नहीं की थी, उसने प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेख किया था, प्रार्थी टीकाराम के द्वारा थाने में आकर कोई रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। यह स्वीकार किया कि प्रार्थी ने घटना रात्रि समय 8:30 बजे की होना बताया था। प्रार्थी द्वारा घटनास्थल बीजाटोला से मण्डला रोड बताया गया था।

13. साक्षी के.के.तिवारी (अ0सा0-07) का कहना है कि वह दिनांक 06.08.99 को थाना परसावाडा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 76/99 धारा 392/34 भां.द.वि की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा टीकाराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.03 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त दिनांक को ही प्रार्थी टीकाराम गवाह विनोद कुमार, दुर्गाप्रसाद, सुशीला के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था उसके द्वारा दिनांक 23.08.99 को मण्डला जेल में मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति लेकर अभियुक्त प्रमेन्द्र, प्रभात एवं मनोज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

14. साक्षी के.के.तिवारी (अ0सा0-07) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने मौका नक्शा प्र.पी.03 घटनास्थल पर न बनाकर थाना परसावाडा में बना लिया था, प्र.पी.03 के मुताबिक टीकाराम ने

ऐसा कोई मौका नक्शा नहीं बताया था, प्र.डी.01 के कथन में टीकाराम ने घटना शाम 6:00 बजे की होना बताया था, किन्तु उसने घटना शाम 8:30 बजे की झूठे तौर से लेख किया था, प्र.डी.01 में टीकाराम ने उसे घटना ग्राम बीजाटोला की होना बताया था, किन्तु उसने घटना भादुकोटा और बीजाटोला के बीच की बात झूठे आधार पर दर्ज कर लिया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि विवेचना के दौरान यह तथ्य उसके समक्ष टीकाराम ने नहीं लाया था कि वह आरोपीगण को पहले से जानता था और उसे आरोपीगण का नाम मालूम था। साक्षी के अनुसार टीकाराम ने उसे बताया था कि घटना के समय आरोपी एक-दूसरे का नाम ले रहे थे, तब उनका नाम पता चला था। साक्षी यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण की पहचान कार्यवाही टीकाराम से नहीं करवाया था। यह अस्वीकार किया कि उसने प्रार्थी टीकाराम, साक्षी विनोद कुमार, दुर्गाप्रसाद, सुशीला ब्रम्हे के कथन अपने मन से लेख किया था। यह स्वीकार किया कि प्र.पी.07 में गिरफ्तारी पंचनामा में इस बात का उल्लेख है कि मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर आपैचारिक गिरफ्तारी की गई है, किन्तु उस अनुमति का कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं है। यह भी अस्वीकार किया कि गिरफ्तारी की ऐसी कोई अनुमति नहीं लिया था, इसलिये उसने प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्षी के अनुसार केस डायरी में संलग्न होगा। यह अस्वीकार किया कि घटना रात्रि 8:30 बजे टीकाराम के द्वारा उसे बयान दिया गया था और दिनांक 06.08.99 को टीकाराम ने कोई बयान नहीं दिया था। यह अस्वीकार किया कि टीकाराम ने उसे प्र.डी.01 के बयान में यह नहीं बताया था कि लूट करने वाले एक-दूसरे का नाम लेकर घटना को अंजाम करने को कह रहे थे तथा उक्त बात उसने प्र.डी.01 में अपने मन से लेख कर लिया था।

15. विवेचक साक्षीगण की साक्ष्य घटना के संबंध में अखण्डनीय है और अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण घटना के बाद मोटर सायकिल से भाग गये थे। घटना दिनांक 05.08.99 की है। तत्पश्चात करीब तीन दिन पश्चात दिनांक 08.08.99 को अभियुक्तगण से ग्राम पाण्डीवारा में जप्ती दर्शित है। उक्त स्थल घटनास्थल से अत्यधिक दूरी पर नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण की

परिवादी से पहचान नहीं कराई गई है। परिवादी ने अपने पुलिस कथन और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में स्पष्ट रूप से आरोपीगण को देखकर पहचान लेने के कथन किये हैं और न्यायालय में अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने आरोपी प्रभात को घटनास्थल पर नहीं देखा था और न्यायालय में ही प्रथम बार देखा है। घटना के अन्य साक्षी जिन्हें परिवादी द्वारा घटना के तुरंत बाद घटना बताने और साथ में थाने जाना बताया है, विनोद अ.सा.01 और दुर्गा गौतम अ.सा. 02 ने घटना से स्पष्ट इंकार कर किसी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त किया है। घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल के संबंध में प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है और ना ही घटनास्थल पर अभियुक्त प्रभात की उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध मात्र विवेचना कार्यवाही के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। फलतः अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त प्रभात ने दिनांक-05.08.1999 को समय 08:30 बजे स्थान भादुकोटा और भीमाटोला के रास्ते में चाकू अड़ाकर फरियादी टीकाराम की मृत्यु/उपहति/सदोष अवरोध कारित करने का भय कारित किया और 850/- रुपये लूट लिये। अतः अभियुक्त प्रभात को भा.दं0सं0 की धारा-392 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 16.** अभियुक्त प्रभात के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 17.** आरोपी प्रभात अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 18.** प्रकरण में आरोपीगण मनोज उर्फ मनीष तथा प्रमोद कुमार उर्फ खेमेन्द्र फरार होने से प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)